परिपत्र / अत्यन्त आवश्यक

पत्रं सं0-स्था-1-चरित्र पंजिका -वा0प्र0-13-14 // 1929 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ ::दिनांक: 18 अगस्त, 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2-/ ज्वाइन्ट कमिश्नर /

डिप्टी कमिश्नर ,वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या- 1995 दिनांक 19-8-2014 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या- 2559 दिनांक 16-9-2014 ,पत्र संख्या- 350 दिनांक 6-5-15 पत्र संख्या- 590 दिनांक 22-5-15 एवं विभागीय मासिक समीक्षा बैठकों में समय-समय पर आपको निर्देश दिये जाते रहे है, कि आप अपने जोन से सम्बन्धित सभी अधिकारियों से सम्बन्धित वार्षिक प्रविष्टियां सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर परिपत्रों में उल्लिखित निर्धारित समय सारणी के अनुसार मुख्यालय उपलब्ध करायेगें, परन्तु अभी तक **वर्ष 2013-14** से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों की प्रविष्टियां मुख्यालय पर प्राप्त नहीं हुई है ।

आप भलीभॉति अवगत है, कि वार्षिक प्रविष्टियों को निहित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के शासन से स्पष्ट निर्देश है, और कार्मिको के सेवा सम्बन्धी प्रकरणो में वार्षिक प्रविष्टियों की अहम भूमिका होती है। विभागीय चयन समिति की बैठके प्रत्येक वर्ष नियमानुसार होती है ।अत: वार्षिक प्रविष्टियों को अद्यावदिक कराया जाना आवश्यक ही नही विधिक बाध्यता भी है । **उक्त सम्बन्ध में शासन ने अपने पत्र संख्या सं0वि0क0नि0-1-1474 /11-2015-212/2014 दि 11-8-2015 द्वारा भी असि0 कमि0 की वर्ष 2013-14 की वार्षिक प्रविष्टियों/अन्य सभी की प्रविष्टियों को डी0पी0सी0 की कार्यवाही हेतु समयबद्ध रुप से पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।**

अत: उक्त सम्बन्ध में अधिकारियों के गोपनीय मन्तव्य देने वाले अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये है, अथवा वार्षिक प्रविष्टि देने में विलम्ब /असमर्थता व्यक्त कर रहे हो तो आप अपने स्वयं के संज्ञान एवं अभिलेखो के आधार पर अपने स्तर से प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही समयावधि के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।

अत: उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है, कि आपके जोन में कार्यरत रहे वर्ष 2013-14 की प्रविष्टियां अथवा इसके पूर्व की, आपके अधीनस्थ कार्यरत रहे समस्त अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टिया युद्ध स्तर पर अभियान संचालित करकें पूर्ण कराकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय उपलब्ध कराये तथा यह प्रमाण पत्र की उपलब्ध कराने का कष्ट करें, कि आपके अधीनस्थ कार्यरत रहे अधिकारी की **वर्ष 2013-14** की कोई वार्षिक प्रविष्टि प्रदान करने हेतु शेष नहीं है। इस प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है ।

17.08.15

(बी0राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

1459
19-8-15

पृ0प0स0व दिनांक उक्त :--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष कार्याधिकारी, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन को पत्र संख्या- सं0वि0क0नि0-1-1474 /11-2015-212/2014 दि 11-8-2015 के संदर्भ सूचनार्थ प्रेषित ।
2- समस्त मा0 सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश ।
3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण)वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर लखनऊ ।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (हाई कोर्ट / सुप्रीम कोर्ट) इलाहाबाद / गाजियाबाद / लखनऊ ।
5- वाणिज्य कर मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।
6- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2

प्रभार ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना)

वाणिज्य कर मुख्यालय ।